सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2014/00213

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंम्बोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 53/2014

निरंजनसिह पुत्र गोकुलसिह जाति काछी निवासी ग्राम ईटकी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

......वादी

बनाम

1–तुलसीदास पुत्र पंचमसिह जाति कुशवाह निवासी कनासिल तहसील सैपऊ
2–गोरेलाल पुत्र नत्थीलाल जाति कुशवाह निवासी मौहल्ला पटपरा पुराना शहर धौलपुर
3–पंजाब नेशनल बैंक शाखा धूलकोट धौलपुर
4–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

——— प्रतिवादीगण

दावा,बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए

उपस्थिति – 1–श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट (वादी)
2–श्री अशोक कुमार दिवाकर एडवोकेट (वादीगण)

निर्णय दिनांक 18.09.2019

वादी द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में दिनांक 04.03.2014 को वास्ते बटवारा काश्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 2299 रकवा 1 बीघा 06 विश्वा स्थित वाके ग्राम मालोनी खुर्द तहसील सैपऊ का पेश किया । दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये । प्रतिवादीगण की ओर से श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट उपस्थित आये । गुणावगुण के आधार पर दिनांक 04.07.2019 को दावा वादी प्रारंभिक रूप से डिकी किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य उनके रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकार्ड मे दर्ज हिस्सो के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्र कमांक राजस्व/2019/660 दिनांक 12.09.2019 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें । तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावैजो का अवलोकन किया तथा विद्वान वादी अभिभाषक द्वारा मुताविक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिकी करने का निवेदन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ (धौलपुर)

किया है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित मालोनीखुर्द तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :—

1—निरंजन पुत्रश्री गोकुलसिह जाति कुशवाह सा. ईटकी मजरा मालोनीखुर्द खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा धूलकोट धौलपुर मु.वि0क0

क0सं0	ख0नं0	रकवा	लगान
1.	2299 / 1	0—18	3.15
योग	1	0—18	3.15

2—तुलसीराम पुत्रश्री पंचमसिह कौम कुशवाह सा. कनासिल तहसील सैपऊ, गोरेलाल पुत्रश्री नत्थीलाल कौम कुशवाह सा. पटपरा पुराना शहर धौलपुर हि. बराबर खातेदार

क0सं0	ख0नं0	रकवा	लगान
1.	2299 / 2	0—08	1.40
योग	1	0—08	1.40

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक—पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(हरिसिह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN AT 252581

डिकी व मुकदमे ईब्तदाई

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
व इजलास – हरिसिह लंम्बोरा (आर० ए० एस०)
प्रकरण संख्या– 53 / 2014
निरंजनसिह पुत्र गोकुलसिह जाति काछी निवासी ग्राम ईटकी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.......वादी

बनाम

1–तुलसीदास पुत्र पंचमसिह जाति कुशवाह निवासी कनासिल तहसील सैपऊ
2–गोरेलाल पुत्र नत्थीलाल जाति कुशवाह निवासी मौहल्ला पटपरा पुराना शहर धौलपुर
3–पंजाब नेशनल बैंक शाखा धूलकोट धौलपुर
4–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ बहैसियत लैण्ड होल्डर

——— प्रतिवादीगण

दावा,बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ हरिसिह लंम्बोरा (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री विनोद कुमार भार्गव एडवोकेट एंव मिनजानिव मुद्दायलह श्री ++++++++ एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिकी किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम विसयतीपुरा तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है:–

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ (धौलपुर)

1–निरंजन पुत्रश्री गोकुलसिह जाति कुशवाह सा. ईटकी मजरा मालोनीखुर्द खातेदार राहिन पी. एन.बी. शाखा धूलकोट धौलपुर मु.वि0क0

क0सं0	ख0नं0	रकबा	लगान
1.	2299/1	0–18	3.15
योग	1	0–18	3.15

2–तुलसीराम पुत्रश्री पंचमसिह कौम कुशवाह सा. कनासिल तहसील सैपऊ, गोरेलाल पुत्रश्री नत्थीलाल कौम कुशवाह सा. पटपरा पुराना शहर धौलपुर हि. बराबर खातेदार

क0सं0	ख0नं0	रकबा	लगान
1.	2299/2	0–08	1.40
योग	1	0–08	1.40

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर की आदेशानुसार/प्रस्तावित मानचित्र अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.09.2019 को जारी की गई।

(हरिसिह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ